अध्याय–III

निगमित अभिशासन

परिचय

3.1 निगमित अभिशासन ग्राहको, आपूर्तिकर्ताओ, कर्मचारियों, अंशधारकों, बैंकरों एवं वृहद् रूप से समाज को सम्मिलित करते हुये अपने विभिन्न हितधारको के विश्वास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। निगमित अभिशासन के नियमों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओ की प्रणाली से कंपनी निर्देशित एवं नियंत्रित होती है। साथ ही, किसी भी राजकीय उपक्रम का निगमित अभिशासन का ढांचा पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र निगरानी एवं सभी के लिए निष्पक्षता जैसे चार स्तंभों पर निर्भर करता है। निगमित अभिशासन का पालन व्यवसाय में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाता है एवं हितधारकों का विश्वास बढ़ाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) को कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर 29 अगस्त 2013 को अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबंधन व प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता, निदेशक मंडल की बैठकों तथा इसकी शक्तियों एवं लेखों पर कंपनी नियम 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया है। कंपनी नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक सुदृढ ढांचा प्रदान करता है। जिसमे अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि:

- **स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यता के साथ पेशेवर आचरण हेतु कर्तव्य एवं दिशा-निर्देश {धारा 149 (6) सपठित कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) का नियम 5}।**
- **निर्धारित कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {धारा 149 (1)}**
- **विशिष्ट समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति {धारा 177 (1)} नामांकन एव पारिश्रमिक समिति {धारा 178 (1)},एवं हितधारक संबंध समिति {धारा 178 (5)} की अनिवार्य स्थापना**
- **प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकों का आयोजन, इस प्रकार से होना चाहिए कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का समयान्तराल न हो।{धारा 173 (1)}।**

निगमित अभिशासन पर सेबी/बीपीई के दिशानिर्देश

3.3 चूंकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश राजकीय उपक्रमों पर लागू नहीं होते है। साथ ही, राजस्थान सरकार (जीओआर) के राजकीय उपक्रम ब्यूरो (बीपीई) ने भी निगमित अभिशासन के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये है।

निगमित अभिशासन के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा

3.4 31 मार्च, 2020 को, भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों सहित राज्य सरकार की 42 कंपनियां (जिसे आगे राजकीय उपक्रमों से संबोधित किया गया है) थी। सरकारी कंपनियों को अधिक स्वायत्तता देने की सरकार की नीति के परिपेक्ष्य में निगमित अभिशासन का महत्व बढ़ गया है।

लेखापरीक्षा समीक्षा के उद्देश्य से निगमित अभिशासन पर अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक मूल्यांकन प्रणाली तैयार की गई थी। वर्ष 2019-20 के दौरान लागू प्रावधान मूल्यांकन प्रणाली में परिलक्षित थे। समीक्षा में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के अतिरिक्त, जो समापन अवस्था में है, विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है।

निदेशक मंडल का गठन

स्वतंत्र निदेशक

3.5 बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों जो प्रबंधन के निर्णयों पर एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम हैं, की उपस्थिति को शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में व्यापक रूप से एक साधन माना जाता है।

अधिनियम 2013 की धारा 149 (4) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। साथ ही, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के अनुसार (i)दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी अथवा (ii) एक सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक का टर्नओवर; अथवा (iii) समग्र रूप से पचास करोड़ रुपये से अधिक बकाया ऋण, ऋणपत्रों एवं जमा रखने वाली सार्वजनिक कंपनियो में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कम से कम दो निदेशक होने चाहिए।

साथ ही, इस नियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनी को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना भी आवश्यक है। ऐसी लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, जिसमें अधिनियम 2013 की धारा 177 (2) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा।

नियम में आगे यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी लगातार तीन वर्षो तक तीन शर्तो में से कोई भी शर्त पूर्ण नहीं करती है, इसे इन प्रावधानों का अनुपालना करने की तब तक आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि यह इनमे से किसी शर्त को पूर्ण नहीं करती है।

इसके अतिरिक्त, नियम 4 के उप नियम (2) के अनुसार, एक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी अर्थात एक संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अथवा एक निष्क्रिय कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं उपरोक्त वर्णित नियम 4 के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 42 राजकीय उपक्रमों में से 26 राजकीय उपक्रमों को, जैसा कि **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, स्वतंत्र निदेशको (आईडी) की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था। निदेशक मंडल (बीओडी) की संरचना की समीक्षा के आधार पर इन राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की एक सारांशित स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है:

तालिका 3.1 स्वतंत्र निदेशको (आईडी) की नियुक्ति की स्थिति

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को
आईडी की नियुक्ति की आवश्यकता रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	26	26
आईडी की आवश्यक संख्या रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	12	5
आईडी की आवश्यक संख्या नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	1	4
कोई आईडी नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	13	17

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नौ[1] राजकीय उपक्रमों, जिन्हें मार्च 2019 को वांछित संख्या में आईडी की आवश्यकता थी, ने पूर्व आईडी की कार्यावधि समाप्त होने पर नये आईडी की नियुक्ति नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 को ऐसे राजकीय उपक्रमों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिनमे या तो आवश्यक संख्या में आईडी नहीं थे अथवा आईडी की संख्या शून्य थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि:

- दो राजकीय उपक्रम यथा उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (यूएससीएल) एवं राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससीएल), जिनकी लेखापरीक्षा समिति में 31 मार्च 2019 एवं 31 मार्च 2020 को पाँच सदस्य थे, में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र

1 जैसा कि अनुबंध 3.1 की क्रम संख्या 1 से 7, 22 एवं 23 पर वर्णित है।

निदेशक नहीं थे, जैसा कि मार्च 2019 एवं मार्च 2020 में यूएससीएल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था जबकि आरएसएससीएल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

- यद्यपि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने 2018-19 के दौरान नियम 4 की किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं किया था परन्तु 2017-18 के दौरान ₹ 136.06 करोड़ के टर्नओवर को ध्यान में रखते हुये, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 2018-19 के दौरान ही लागू हो गये थे। इसके उपरांत भी आरएसआईसीएल ने 2019-20 में भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की थी।
- बाड़मेर लिग्नाइट खनन कंपनी लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम, को यद्यपि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी, में 31 मार्च 2019 कों तीन स्वतंत्र निदेशक थे, जिनका कार्यकाल 29 मार्च 2020 कों समाप्त हो गया था।

इस प्रकार, राजकीय उपक्रमों ने अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की थी।

मंडल में महिला निदेशक

3.6 अधिनियम, 2013 की धारा 149 (2) सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 का नियम 3 (i) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, (ii) प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसमें (अ) एक सौ करोड़ या अधिक की प्रदत्त पूंजी अथवा (ब) तीन सौ करोड़ या अधिक का टर्नओवर हो, में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। साथ ही, महिला निदेशक की किसी भी आंतरायिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा अतिशीघ्र परन्तु तत्काल आगामी बोर्ड बैठक के बाद अथवा ऐसी रिक्ति की दिनांक से तीन माह, जो भी बाद में हो, से पूर्व भरा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2019-20 के दौरान 19 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, द्वारा महिला निदेशको की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था। इन 19 राजकीय उपक्रमों में से 13 राजकीय उपक्रमों में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक रही थी, जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: वर्ष 2019-20 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक वाले राजकीय उपक्रमों के नाम

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रमों के नाम
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
2.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
5.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड
6.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

7.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
9.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड
10.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
11.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
12.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
13.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

स्रोतः राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो[2] राजकीय उपक्रमों में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी। साथ ही, तीन[3] राजकीय उपक्रमों ने महिला निदेशक की रिक्ति को निर्धारित समयावधि के भीतर भरकर प्रावधान के नियम 3 की अनुपालना सुनिश्चित की थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एक राजकीय उपक्रम यथा जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने महिला निदेशक की रिक्ति को सात महीने के विलंब से भरा था।

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली

नियुक्ति के औपचारिक पत्र को जारी करना एवं सामान्य सभा में अनुमोदन

3.7 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन अंशधारको की बैठक (साधारण सभा) में होगा। साथ ही, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति औपचारिक नियुक्ति पत्र, जिसमें नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को व्यक्त किया जायेगा, के माध्यम से की जायेगी। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना भी आवश्यक है।

तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि दो राजकीय उपक्रमों (राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड) ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति (फरवरी 2020) की, परन्तु दोनो राजकीय उपक्रमों ने नियुक्ति का अनुमोदन साधारण सभा में नहीं करवाया था। साथ ही, नियुक्त किये गये स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति के नियम एवं शर्तों के संबंध में जारी किए गये औपचारिक पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त दो[4] राजकीय उपक्रमों के संबंध में, जिनमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, आरयूडीडब्ल्यूएस एण्ड आईसीएल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की अवधि एवं कार्यों की सूची, जोकि निदेशक द्वारा कम्पनी में कार्यरत रहते हुये नहीं किये जाने चाहिए, को सम्मिलित नहीं किया गया था जबकि आरएसएमएमएल ने अधिनियम, 2013 की

2 राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड।

3 बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएसएमएल).

4 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (आरयूडीडबल्यूएसएवंआईसीएल) एवं आरएसएमएमएल।

अनुसूची IV में वांछित नियमों एवं शर्तो को नियुक्ति पत्र में सम्मिलित नहीं किया था।

स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.8 कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV (अनुच्छेद III (1)- स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को यथोचित प्रशिक्षण लेना चाहिए एवं अपने कौशल, ज्ञान तथा कंपनी के बारे में जानकारी को नियमित रूप से तरोताजा एवं अद्यतन रखना चाहिए। तथापि, लेखपरीक्षा ने देखा कि किसी भी राजकीय उपक्रम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया था।

कंपनी के बोर्ड, बोर्ड समितियों एवं साधारण सभा की बैठकों में भाग लेना

3.9 अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (3) में यह प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल एवं बोर्ड समितियों, जिनमें वह सदस्य है, की समस्त बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए।

अ **बोर्ड की बैठक:-** स्वतंत्र निदेशकों, जो कि बैठक के समय बोर्ड में विद्यमान थे, की उपस्थिति की स्थिति कों **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या	आईडी की 100% उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	8	7
2.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	6	2
3.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	3	2
4.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	5	2
5.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	6	4
6.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	4	4
7.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	8	7
8.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	2	1
9.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	4	0
10.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	5	1
11.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	0
12.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	3	2
13.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	1	1
14.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	3	1

स्त्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्र निदेशकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति मात्र 57 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में रही थी। साथ ही, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं

राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड बैठकों में उपस्थित नही होकर हितधारकों की ओर से उनको सौंपी गयी भूमिका को महत्व नहीं दिया था।

ब बोर्ड समितियों की बैठक

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति– लेखापरीक्षा ने उन कंपनियों में भी स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की समीक्षा की, जिनमे गठित सीएसआर समितियों की 2019-20 के दौरान बैठकें आयोजित की गई थीं एवं बैठक के समय स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में विद्यमान थे। सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति को **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: सीएसआर समिति की बैठकों में आईडी की उपस्थिति

क्रम संख्या.	राजकीय उपक्रम का नाम	बैठक की दिनांक	बोर्ड में आईडी की संख्या	उपस्थित आईडी की संख्या
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	28.08.2019 11.11.2019	2 2	2 2
2.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	08.11.2019	2	1
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	08.11.2019	2	1
4.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	31.10.2019	2	2
5.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	09.01.2020	2	1

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि तीन राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 2, 3 एवं 5) में एक स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित था।

लेखापरीक्षा समिति– वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के दौरान बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति को **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5: लेखापरीक्षा समिति में आईडी की उपस्थिति

क्रम संख्या.	राजकीय उपक्रम का नाम	बैठक की दिनांक	बोर्ड में आईडी की संख्या	उपस्थित आईडी की संख्या
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	13.05.2019	2	2
		26.07.2019	2	1
		28.08.2019	2	2
		27.09.2019	2	2
		11.11.2019	2	2
		05.03.2020	1	1
2.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	30.07.2019	2	2
		13.08.2019	2	1

		19.09.2019	2	1
3.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	03.06.2019	2	2
		26.08.2019	2	2
		20.09.2019	2	1
4.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	30.07.2019	2	2
		19.09.2019	2	1
5.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	30.07.2019	2	2
		16.09.2019	2	2
6.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	13.05.2019	2	2
		26.07.2019	2	2
		12.09.2019	2	2
7.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	11.07.2019	2	1
		28.08.2019	2	2
		08.11.2019	1	1
8	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	09.12.2019	2	2
9	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	24.10.2019	2	1
10	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	13.09.2019	2	1
11	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	27.08.2019	2	0
12	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	30.07.2019	1	1
13	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	19.02.2020	2	2
14	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	19.11.2019	3	3

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

स. साधारण सभा

अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) में प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशक को कंपनी की समस्त साधारण सभाओं में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के आयोजन के समय 13 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक विद्यमान थे। 2019-20 में आयोजित वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या एवं स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होने सभा में भाग लिया का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: वार्षिक साधारण सभा में आईडी की उपस्थिति

क्रम संख्या.	राजकीय उपक्रम का नाम	एजीएम की दिनांक	बोर्ड में आईडी की संख्या	बैठक में उपस्थित आईडी की संख्या
1	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	10.12.2019	1	0
2	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	26.09.2019	2	0

3	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	30.09.2019	2	2
4	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	26.09.2019	2	0
5	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	23.09.2019	2	0
6	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	27.09.2019	2	2
7	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	28.01.2020	2	1
8	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	20.01.2020	2	0
9	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	28.11.2019	2	1
10	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	31.10.2019	1	0
11	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	31.12.2020	1	0
12	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	17.03.2020	2	2
13	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	16.12.2019	3	1

स्त्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सात राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 8, 10 एवं 11) में बोर्ड में विद्यमान कोई भी स्वतंत्र निदेशक एजीएम में उपस्थित नहीं था, जबकि तीन राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 7, 9 एवं 13) में स्वतंत्र निदेशकों की भागिता कम रही एवं केवल तीन राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 3, 6 एवं 12) में बोर्ड में विद्यमान समस्त स्वतंत्र निदेशक एजीएम में उपस्थित रहे थे।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निर्देश दिया (24 मार्च 2020) कि यदि किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, इस तरह की बैठक का आयोजन नहीं कर पाते है, तो उसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उल्लंघन नहीं माना जायेगा। तथापि, स्वतंत्र निदेशक, यदि इसे आवश्यक समझे, तो वह दूरभाष अथवा ई-मेल अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम से आपस में अपने विचार साझा कर सकते है।

3.10 अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (VII) (1) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करना चाहिए। साथ ही, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा हेतु ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। कार्यकारी निदेशकों एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की भी समीक्षा की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के दौरान 16 राजकीय उपक्रमों, जहाँ स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में विद्यमान थे, में से केवल तीन[5] राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठक का आयोजन क्रमशः 5 मार्च 2020, 11 मार्च 2020 एवं 6 दिसम्बर 2019 को किया था, जबकि

5 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड।.

शेष 13 राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने 2019-20 के दौरान किसी पृथक बैठक का आयोजन नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पृथक बैठकों के अभाव में, 13 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, यथा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा, का मुख्य उद्देश्य पूर्णतः विफल हो गया था। साथ ही, अनुसूची IV (VII) (3) (स) के अनुसार, बोर्ड को अपने कर्तव्यों का प्रभावी एवं यथोचित रूप से पालन करने के लिये आवश्यक, कंपनी प्रबंधन एवं बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, तीन राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा से प्रकट हुआ कि यद्यपि स्वतंत्र निदेशकों ने इन राजकीय उपक्रमों के प्रबंधन एवं बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता का मूल्यांकन किया परन्तु उन्होने गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा नहीं की थी।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पदों को भरना

3.11 अधिनियम 2013 की धारा 203(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसी कम्पनी, जो कि कंपनी की निर्धारित श्रेणी या श्रेणियों से संबंधित है, में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) अर्थात (i) प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अथवा प्रबंधक एवं उनकी अनुपस्थिति में एक पूर्णकालिक निदेशक; (ii) कंपनी सचिव; एवं (iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) होने चाहिए। साथ ही, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं दस करोड़ अथवा उससे अधिक रूपये की प्रदत्त पूंजी वाली प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक होने चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में आगे यह प्रावधान है कि यदि किसी भी पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त हो जाता है, तो संबंधित रिक्ति को बोर्ड द्वारा ऐसी रिक्ति की दिनांक से छह महीने की अवधि के अंदर बोर्ड की बैठक में भरा जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 24 राजकीय उपक्रमों, जैसा की **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, की प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक थी। अतः इन कंपनियों को पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त करने की आवश्यकता थी। इन 24 राजकीय उपक्रमों में से **तालिका 3.7** में दर्शाये गए चार राजकीय उपक्रमों को छोड़कर 20 राजकीय उपक्रमों में पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त किये गये थे।

तालिका 3.7: केएमपी की नियुक्ति की स्थिति

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	केएमपी की स्थिति
1.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20 के दौरान पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की गयी थी।
2.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	
3.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	

4	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	सीएफ़ओ एवं सीएस की नियुक्ति की जानी है।

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

साथ ही, केएमपी की रिक्तियों को भरे जाने से संबंधित अभिलेखो की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 2019-20 के दौरान उत्पन्न हुई रिक्तियों को इस प्रकार की रिक्तियों की दिनांक से छः माह के भीतर भर दिया गया था।

निदेशक मंडल की बैठक

3.12 अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल (बीओडी) की प्रथम बैठक का आयोजन करेगी एवं इसके पश्चात, प्रत्येक वर्ष बीओडी की न्यूनतम चार बैठकें इस तरह से आयोजित की जायेगी कि बोर्ड की निरंतर दो बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल न हो।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (24 मार्च 2020) ने बीओडी की बैठकों को आयोजित करने हेतु धारा 173 में दिये गये अंतराल में 60 दिनों का विस्तार एक मुश्त छूट के रूप में अगली दो तिमाहियों अर्थात सितंबर 2020 तक प्रदान किया है।

प्रत्येक राजकीय उपक्रम द्वारा 2019-20 के दौरान आयोजित बीओडी बैठकों की संख्या का विवरण **अनुबंध 3.1** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि 41 राजकीय उपक्रमों में से 16[6] राजकीय उपक्रम वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चार बीओडी बैठकों का आयोजन करने में विफल रहे थे, जबकि चार[7] राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीओडी की मात्र एक बैठक का आयोजन किया था। साथ ही, राजकीय उपक्रमों, जिनमें बीओडी की दो बैठकों के मध्य समयान्तराल 120/180 दिनों की निर्धारित समय सीमा से अधिक था, को **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: बीओडी की निरंतर दो बैठकों के आयोजन करने में विलम्ब

क्रम	राजकीय उपक्रम का नाम	बैठक की दिनांक	अगली बैठक की दिनांक	अंतराल की अवधि (दिनों में)
1	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	31.10.2019	13.10.2020	348
2	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	25.06.2019	06.11.2019	134
3	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	09.12.2019	08.06.2020	182
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	09.12.2019	10.06.2020	183
5	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	05.04.2019	10.12.2019	249
		10.12.2019	16.10.2020	311

6 क्रम संख्या. 10, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 31, 35, 36, 39, 40 एवं 41।

7 क्रम संख्या. 10, 24, 31 एवं 39।

6	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	29.08.2019	22.01.2020	146
		22.01.2020	10.09.2020	232
7	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	11.11.2019	16.03.2020	127
8	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	14.08.2019	02.09.2020	385
9	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	21.07.2019	21.11.2019	123
		31.12.2019	29.09.2020	272
10	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	31.10.2019	05.08.2020	279
11	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	17.08.2019	29.01.2020	165
		29.01.2020	29.07.2020	182
12	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	19.12.2019	29.07,2020	222
13	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	27.05.2019	30.09.2019	125
14	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	30.07.2019	13.12.2019	136
15	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	13.06.2019	14.10.2019	123

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 173 (3) में प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक बुलाने हेतु प्रत्येक निदेशक को कम से कम सात दिवस पूर्व लिखित में नोटिस कंपनी के पास उसके पंजीकृत पते पर भेजना चाहिए एवं ऐसे नोटिस की सुपुर्दगी व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा भेजनी होगी। नोटिस एवं बैठकों के दिनांक की समीक्षा से उजागर हुआ कि निम्नलिखित 10 राजकीय उपक्रमों ने सात दिवस का नोटिस दिये बिना ही बीओडी की बैठकें आयोजित की थी।

तालिका 3.9: कम अवधि के नोटिस द्वारा आहूत की गई बोर्ड बैठकों का विवरण

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम	नोटिस की तिथि	बोर्ड की बैठक की तिथि
1	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	19.12.2019	23.12.2019
2	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड	19.12.2019	23.12.2019
3	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड	19.12.2019	23.12.2019
4	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	13.03.2020	18.03.2020
5	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	11.03.2020	16.03.2020
6	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	09.08.2019	14.08.2019
7	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	27.01.2020	28.01.2020
8	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	27.09.2019	30.09.2019
9	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	10.12.2019	13.12.2019
10	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	12.12.2019	16.12.2019

स्रोत राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं अन्य समितियां

लेखापरीक्षा समिति का गठन एवं संरचना

3.13 अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एवं समस्त सार्वजनिक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक अथवा टर्नओवर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक अथवा बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या जमा समग्र रूप से ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक है, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 41 राजकीय उपक्रमों में से 26 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, जिनके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने देखा कि कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर समस्त राजकीय उपक्रमों ने 31 मार्च 2020 को लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। साथ ही, राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति का गठन (19 अगस्त 2019) विलंब से किया था क्योंकि उसका गठन वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसके टर्नओवर के आधार पर 2018-19 की प्रथम तिमाही में करना था।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

3.14 अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होने चाहिए जिनमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। साथ ही, लेखापरीक्षा समिति में इसके अध्यक्ष सहित सदस्यों का बहुमत वित्तीय विवरण को पढ़ने एवं समझने की क्षमता वाले व्यक्तियों का होना चाहिए।

एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति की संरचना के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करवायी थी। शेष 24 राजकीय उपक्रमों में, जिनमें लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था, उनमे वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड को छोड़कर समस्त राजकीय उपक्रमों ने अपनी लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन सदस्यों के मापदंड को पूर्ण किया था। साथ ही, स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत केवल तीन[8] राजकीय उपक्रमों में पाया गया था जबकि शेष 21 राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं पाये गये थे।

8 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड।

लेखापरीक्षा समिति हेतु निर्देश-निबंधन

3.15 अधिनियम 2013 की धारा 177(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन के अनुसार कार्य करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 राजकीय उपक्रमों (आरटीडीसीएल को छोड़कर), जिनमें लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था, में से मात्र 13 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **तालिका 3.10** में दर्शाया गया है, में उनसे संबंधित बोर्ड द्वारा-निर्देश निबंधन (टीओआर) का अनुमोदन किया गया था।

तालिका 3.10: राजकीय उपक्रम जहाँ लेखापरीक्षा समिति के निर्देश-निबंधन अनुमोदित है

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
2.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
4.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
6.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड
7.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
9.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
11.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
12.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
13.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

टीओआर की समीक्षा से उजागर हुआ कि इन सभी राजकीय उपक्रमों (राजकीय उपक्रम क्रम संख्या 1, 8 एवं 10 को छोड़कर) ने धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट समस्त बिंदुओ को सम्मिलित किया था। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने टीओआर में 'लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता की समीक्षा एवं निगरानी, लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन एवं प्रभावशीलता एवं संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन का अनुमोदन' को सम्मिलित नहीं किया था। साथ ही, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति के टीओआर में 'लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं निष्पादन' को सम्मिलित नहीं किया गया था।

राजकीय उपक्रमों जिनमें उनके संबंधित बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति की टीओआर का अनुमोदन नहीं किया गया था, को **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: राजकीय उपक्रम जिनमें लेखापरीक्षा समिति की टीओआर का अनुमोदन नहीं किया गया

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
2.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड
3.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
4.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड
5.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
6.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड
7.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड
8.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
9.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड
10.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
11.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

स्त्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा समिति के कार्यकलापों की समीक्षा

3.16 अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन में अन्य बातों के साथ (i) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता की समीक्षा एवं निगरानी तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन एवं प्रभावशीलता, (ii) वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की जांच, (iii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। साथ ही, अधिनियम, 2013 की धारा 177(5) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पूर्व लेखापरीक्षकों से आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षकों की आपत्तियों सहित लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध मे टिप्पणियां मांग सकती है तथा आंतरिक व सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी प्रबंधन के साथ किसी संबंधित मुद्दे पर चर्चा भी कर सकती है।

राजकीय उपक्रमों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण **अनुबंध 3.1** में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की थी जबकि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने उसके द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक का विवरण प्रदान नहीं किया था। यह आंकलन करने हेतु कि क्या गठित लेखापरीक्षा समितियों ने अनुमोदित टीओआर के अनुसार कार्य किया, 2019-20 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में उजागर हुआ कि केवल चार[9] राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समितियों ने राजकीय उपक्रमों में

9 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड

विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया था, जबकि किसी भी राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति ने लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया था। साथ ही, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष हेतु वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का इसकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था, क्योकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी बैठक का आयोजन नहीं हुआ था।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3.17 अधिनियम 2013 की धारा 178(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एवं समस्त सार्वजनिक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक अथवा टर्नओवर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक अथवा बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या जमा समग्र रूप से ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक है, को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 *राजकीय उपक्रमों,* जैसा कि **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, को एनआरसी का गठन करना आवश्यक था। तथापि, 31 मार्च 2020 को निम्नलिखित आठ राजकीय उपक्रमों ने एनआरसी का गठन नहीं किया थाः

तालिका 3.12: राजकीय उपक्रमों जिन्होंने एनआरसी का गठन नहीं किया

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड
2.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
3.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
4.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड
5.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
6.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
7.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल)

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

आरएसजीएसएमएल ने कहा कि चार सदस्यों (एक कार्यकारी एवं तीन गैर-कार्यकारी सदस्य) वाली कार्यकारी समिति एनआरसी के रूप में कार्य कर रही है, तथापि, इसके संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं दिया गया था एवं इस तथ्य के समर्थन में कोई भी अभिलेख प्रदान नहीं किया गया था।

अधिनियम 2013, में आगे यह प्रावधान है कि एनआरसी में तीन या उससे अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिसमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कंपनी

के अध्यक्ष (कार्यकारी अथवा गैर कार्यकारी) को एनआरसी का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है किन्तु वह इस समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।

18 राजकीय उपक्रमों में गठित एनआरसी के विश्लेषण से उजागर हुआ कि एनआरसी की संरचना (आरआरईसीएल को छोड़कर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी, जैसा कि **तालिका 3.13** में सार प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.13: राजकीय उपक्रमों में 31 मार्च 2020 को एनआरसी की संरचना

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	संरचना एवं टिप्पणियाँ
1.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
2.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	दो गैर कार्यकारी सदस्य एवं एक स्वतंत्र निदेशक। स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं।
3.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	अध्यक्ष, डिस्कॉम के अतिरिकत दो निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
4.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	मात्र एक गैर कार्यकारी सदस्य।
5.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	दो गैर कार्यकारी एवं एक कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।.
6.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
7.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	निर्धारित गैर कार्यकारी सदस्यो के स्थान पर तीन कार्यकारी एवं एक स्वतंत्र निदेशक। स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं।
8.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
9.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	निर्धारित गैर कार्यकारी सदस्यो के स्थान पर दो कार्यकारी निदेशक एवं एक गैर कार्यकारी निदेशक। स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं।
10.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
11.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	चार गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
12.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	निर्धारित गैर कार्यकारी सदस्यो के स्थान पर दो गैर कार्यकारी निदेशक एवं एक कार्यकारी निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
13.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	निर्धारित गैर कार्यकारी सदस्यो के स्थान पर तीन गैर कार्यकारी निदेशक एवं एक कार्यकारी निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
14.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
15.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	दो गैर कार्यकारी एवं एक स्वतंत्र निदेशक। स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं।.

16.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	केवल एक गैर कार्यकारी निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।.
17.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	केवल एक सदस्य (अध्यक्ष)। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
18.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	दो स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य।

स्रोत राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों ने एनआरसी का गठन करते समय अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।

हितधारकों संबंधी समिति

3.18 अधिनियम 2013 की धारा 178 (5) में प्रावधान है कि एक कंपनी जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर एक हजार से अधिक शेयरधारक, डिबेंचर-धारक, निक्षेप-धारक एवं किसी अन्य प्रतिभूति धारक हो, का निदेशक मण्डल एक हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन करेगा, जिसमे एक अध्यक्ष जोकि गैर कार्यकारी निदेशक होगा एवं बोर्ड द्वारा विनिश्चित अन्य सदस्य होंगे। साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 178 (6) में प्रावधान है कि एसआरसी कंपनी के प्रतिभूति धारको की शिकायतों पर विचार करेगी एवं उनका समाधान करेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जिसमें 4330 सदस्य थे, ने एसआरसी का गठन (सितंबर 2015) किया था, तथापि, 2019-20 में एसआरसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि इस अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डबल्यूबीएम)

3.19 अधिनियम 2013 की धारा 177(9) सपठित कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 का नियम 7 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी; जनता से जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों, बैंकों एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओ से ₹50 करोड़ से अधिक उधार लेने वाली कंपनियों को वास्तविक समुत्थानों एवं शिकायतों को प्रतिवेदित करने हेतु अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए सचेतक तंत्र की स्थापना करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2019-20 के दौरान 12[10] राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने ₹ 50 करोड़ अथवा अधिक का उधार लिया था, को व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डबल्यूबीएम) की स्थापना करना आवश्यक था। आठ[11] राजकीय उपक्रमों में स्थापित डबल्यूबीएम का उनकी लेखापरीक्षा

10 जैसा कि अनुबंध 3.1 के क्रम सं. 1 से 5, 14 से 17, 22, 24, 37 एवं 40 पर वर्णित।

11 जैसा कि अनुबंध 3.1 के क्रम सं. 1 से 5, 16, 22 एवं 40 पर वर्णित।

समितियों द्वारा निरीक्षण किया गया था। तथापि, चार राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **तालिका 3.14** में दर्शाया गया है, ने व्हिसल ब्लोअर तंत्र की स्थापना नहीं की थी।

तालिका 3.14: व्हिसल ब्लोअर तंत्र का कार्यान्वयन

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड
2.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
3.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड
4.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड

स्रोत राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी राजकीय उपक्रम के सचेतक तंत्र में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, जो यह इंगित करता है कि राजकीय उपक्रमों में स्थापित डबल्यूबीएम के संबंध में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका

3.20 आंतरिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईआईए) ने आंतरिक लेखापरीक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है: ''एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन एवं परामर्श गतिविधि जिसे मूल्य संवर्द्धन एवं संगठन के संचालन में सुधार हेतु रूपरेखित किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि संगठन में जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण एवं संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एवं सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायता करती है।'' तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका यह स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि संगठन का जोखिम प्रबंधन, अभिशासन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

आईसीएआई द्वारा निर्गमित आंतरिक लेखापरीक्षा को शासित करने वाला ढांचा आंतरिक लेखापरीक्षा को, अभिशासन को प्रोन्नत करने एवं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता के संबंध में एक निष्पक्ष आश्वासन के रूप में परिभाषित करता हैं।

विधिक ढांचा

3.21 अधिनियम, 2013 की धारा 138 (1) सपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 13 प्रावधान करता है कि (अ) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, (ब) प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त अंशपूंजी ₹ 50 करोड़ या अधिक अथवा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान टर्नओवर ₹ दो सौ करोड़ या अधिक अथवा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बिन्दु पर बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹ एक सौ करोड़ या अधिक का बकाया

ऋण या उधारियाँ अथवा ₹ पच्चीस करोड़ से अधिक की बकाया जमा रही है, को कंपनी के कार्यों एवं गतिविधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक होगा, जो कि या तो सनदी लेखाकार अथवा लागत लेखाकार हो सकता है अथवा ऐसा अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 25 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **अनुबंध 3.2** में दर्शाया गया है, को आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी थी। इन 25 राजकीय उपक्रमों में से 2[12] राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की थी। साथ ही, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के लेखे उपलब्ध नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं हो सकी जबकि राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी। शेष 21 राजकीय उपक्रमों, जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी, में 14 राजकीय उपक्रमों एवं सात राजकीय उपक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा क्रमशः सनदी लेखाकार फर्मों एवं अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी। सनदी लेखाकार फर्मों के अलावा सम्पन्न की गई आंतरिक लेखापरीक्षा को **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: राजकीय उपक्रम जिनमे आतंरिक लेखापरीक्षा अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी

क्र सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षक
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	58 इकाइयों में से, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 17 इकाइयों की व्यय लेखापरीक्षा की गयी थी।
2.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ एवं सीए फर्मों द्वारा
3.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	अन्य ऊर्जा संयंत्रों के आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा
4.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ एवं सीए फर्मों द्वारा
5.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के सीएओ (आंतरिक लेखापरीक्षा) के अधीन कर्मचारियों द्वारा
6.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
7.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति एवं प्रतिवेदन

3.22 अधिनियम, 2013 की धारा 138 (2) में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार, आंतरिक लेखापरीक्षा को आयोजित किए जाने एवं बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाने के अंतराल एवं तरीके को नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।

12 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि अभी तक नियमों का निर्धारण नहीं किया गया है (मार्च 2020) अतः राजकीय उपक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक आधार पर आयोजित की गई थी। साथ ही, केवल सात राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को बोर्ड को प्रतिवेदित किया था जबकि शेष राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा समिति, निदेशक (वित्त) इत्यादि के स्तर तक ही प्रतिवेदित किया था, जैसा कि **अनुबंध 3.2** में दर्शाया गया है।

अन्य प्रकरण

मुख्यमंत्री सहायता कोष (सीएमआरएफ) में अनियमित योगदान

3.23 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 181 के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल प्रामाणिक धर्मार्थ एवं अन्य निधियों में योगदान दे सकता हैं बशर्ते कि ऐसे योगदान हेतु कंपनी की साधारण सभा में पूर्व अनुमति आवश्यक है यदि किसी वित्तीय वर्ष में समग्र योगदान तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो कंपनियों ने 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान सीएमआरएफ में सारभूत निधियों का योगदान दिया था जिसे नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरएसजीएसएमएल		आरएसबीसीएल	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
तत्कालिक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों हेतु कंपनी के औसत शुद्ध लाभ	51.20	55.88	23.69	29.75
राशि, जिस हेतु बीओडी सीएमआरएफ में योगदान करने के लिए सक्षम था, अर्थात औसत शुद्ध लाभ का 5%	2.56	2.79	1.18	1.49
वर्ष के दौरान सीएमआरएफ़ में राशि का योगदान	30.00	35.00	30.00	35.00

लेखापरीक्षा ने देखा कि दोनों राजकीय उपक्रमों के निदेशक मंडल ने सीएमआरएफ़ में योगदानों को अनुमोदित किया था एवं तदनुसार, योगदान कंपनियों की साधारण सभा में पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही सीएमआरएफ़ में जमा करवा दिए गए थे। इस प्रकार, दोनों कंपनियों द्वारा सीएमआरएफ में दिए गए योगदान अनियमित थे।

दोनों राजकीय उपक्रमों के प्रबंधन ने उत्तर दिया कि कंपनियों की साधारण सभा में सीएमआरएफ में दिए गये राशि के योगदान हेतु बीओडी के निर्णय की पुष्टि की गई थी।

तथ्य यह है कि सीएमआरएफ में सक्षम राशि से अधिक राशि के योगदान करने के संबंध में साधारण सभा में पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की गई थी, जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का

उल्लंघन था।

निष्कर्ष

कुल 26 राजकीय उपक्रमों जिनमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी थी, 17 राजकीय उपक्रमों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की थी जबकि चार राजकीय उपक्रमों में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। साथ ही, संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दो राजकीय उपक्रमों में महिला निदेशक नहीं थी। दो राजकीय उपक्रमों ने साधारण सभा में अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया एवं दोनों राजकीय उपक्रमों द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये गये थे। दो राजकीय उपक्रमों ने कार्यकाल, कार्यों की सूची एवं नियम व शर्ते सम्मिलित नहीं की थी। किसी भी राजकीय उपक्रम ने स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया था। 14 राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों ने या तो बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया या कुछ बोर्ड समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया था एवं सात राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने साधारण सभा में भाग नहीं लिया था। 13 राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशको की पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी। चार राजकीय उपक्रमों में पूर्णकालीन मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं थे। 16 राजकीय उपक्रमों में बोर्ड की निरन्तर दो बैठकों में 123 दिवस एवं 348 दिवस के मध्य का सारभूत विलंब हुआ था। 21 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे एवं 20 राजकीय उपक्रमों में लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, किसी भी राजकीय उपक्रम में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षक के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया था। आठ राजकीय उपक्रमों में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था, जबकि 17 राजकीय उपक्रमों में एनआरसी की संरचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। पाँच राजकीय उपक्रमों में व्हिसल ब्लोअर तंत्र नहीं था। साथ ही, दो राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की थी।

अनुशंसा

राजस्थान सरकार संबंधित प्रशासनिक विभागों पर दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु दबाब डाल सकती है, जिससे कि राजकीय उपक्रमों द्वारा निगमित अभिशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।